बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या- 18151 पटना, दिनांक :- 26.03.14

ग्रा.वि.-1/स्था(प्रशि)-42/2013

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वी. से 55वी. सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचना संख्या- 167414 दिनांक 25.10.13 एवं अधिसूचना संख्या- 169066 दिनांक 22.11.13 द्वारा कुल 522 अभ्यर्थी को वेतनमान 9300-34800 (पे-बैंड-2) + ग्रेड वेतन रू.-4200/- में परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया है ।

नवनियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन भुगतान के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या- 172234 दिनांक 26.12.13 एवं शुद्धि पत्र संख्या 175954 दिनांक 30.01.04 द्वारा आदेश निर्गत किये गये है ।

राज्य के कई जिलों से नवनियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन भुगतान एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में कतिपय पृच्छाऐं की जा रही है, जिसके संबंध में सरकार के स्तर से नीतिगत निर्णय लिये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

ज्ञातव्य हो कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त होने वाला है और नवनियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति की तिथि से वेतन का भुगतान अबतक नहीं हो पाया है ।

वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर सरकार ने यह तत्काल निर्णय लिया है कि नवनियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन की निकासी बिना वेतन पुर्जा के वेतन भरपाई पंजी के आधार पर संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व से घोषित है, वे निकासी कर वेतनादि का भुगतान जिला स्तर पर ही करेंगे ।

वेतन राशि का भुगतान गैर योजना बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड - एन.2515001020001 एवं मांग संख्या-42) से विकलनीय होगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व से राशि उनके लिए आवंटित है ।

यह व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भी तीन माह तक प्रभावी रहेगी ।

सभी उप विकास आयुक्त -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सेवा पुस्तिका का संधारण किये बिना चालू वित्तीय वर्ष में ही नवनियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लंबित वेतनादि की राशि की निकासी कर उनके वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

इस हद तक पूर्व में निर्गत उपर्युक्त आदेशों को संशोधित समझा जाय ।

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 18151 पटना, दिनांक :- 26.03.14

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 18151 पटना, दिनांक :- 26.03.14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2) जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से अनुरोध है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 18151 पटना, दिनांक :- 26.03.14

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 18151 पटना, दिनांक :- 26.03.14

प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 18151 पटना, दिनांक :- 26.03.14

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं श्री सुनील कुमार, आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2) श्री सुनील कुमार, आई.टी.मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव